अध्याय 1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

1.1.1 वर्ष 2011-12 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का राज्य का हिस्सा नीचे उल्लिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	11,617.82	11,655.28	13,219.50	16,790.37	20,399.46
	• कर-भिन्न राजस्व	5,097.08	3,238.45	2,741.40	3,420.94	4,721.65
	योग	**16,714.90**	**14,893.73**	**15,960.90**	**20,211.31**	**25,121.11**
2	**जी.ओ.आई. से प्राप्तियां**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमो का हिस्सा[1]	1,634.36	1,724.62	1,774.47	2,301.75	2,681.55
	• सहायता अनुदान	1,401.48	1,833.96	3,257.29	3,050.62	2,754.93
	योग	**3,035.84**	**3,558.58**	**5,031.76**	**5,352.37**	**5,436.48**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)**	**19,750.74**	**18,452.31**	**20,992.66**	**25,563.68**	**30,557.59**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**85**	**81**	**76**	**79**	**82**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 25,121.11 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का पूर्ववर्ती वर्ष में 79 *प्रतिशत* के विरूद्ध 82 *प्रतिशत* था। वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्तियों का शेष 18 *प्रतिशत* जी.ओ.आई. से था।

गत वर्ष से 2011-12 में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,993.91 करोड़ (20 *प्रतिशत*) की वृद्धि राज्य के अपने कर के हिस्से तथा कर-भिन्न राजस्व में ₹ 4,909.80 करोड़ (24 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थी।

गत वर्ष से 2011-12 में सहायता अनुदानों में ₹ 295.69 करोड़ (10 प्रतिशत) की कमी मुख्यत: ₹ 75.20 करोड़ (10 प्रतिशत) के राज्य योजनागत अनुदानों और ₹ 519.47 करोड़ (29 प्रतिशत) के योजनेत्तर अनुदानों में कमी के कारण थी।

---

[1] विवरण हेतु कृपया विवरणी संख्या 11 देखें-वर्ष 2011-12 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे। शीर्ष 0021 के अन्तर्गत आंकड़े-निगम कर से अन्य आय पर कर-क के अन्तर्गत वित्त लेखाओं में बुक किए गए राज्य को दिए गए निवल अर्थागमों के हिस्से-कर राजस्व राज्य द्वारा एकत्रित राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा इस विवरणी में विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से में सम्मिलित किए गए हैं।

1.1.2 निम्न तालिका 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 से 2011-12 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/ मूल्य वर्धित कर (वैट)	7,720.98	8,154.73	9,032.37	11,082.01	13,383.69	(+) 21
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,378.81	1,418.53	2,059.02	2,365.81	2,831.89	(+) 20
3.	स्टाम्पस एवं पंजीकरण फीस						
	स्टाम्पस-न्यायिक	91.37	1,030.90	945.91	848.09	99.76	(-) 88
	स्टाम्पस-गैर-न्यायिक	1,651.94	267.27	341.86	1,450.33	2,646.35	(+) 82
	पंजीकरण फीस	19.97	28.22	5.79	20.86	46.89	(+) 125
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	379.39	370.29	391.45	387.14	429.32	(+) 11
5.	वाहनों पर कर	233.79	239.30	277.07	457.36	740.15	(+) 62
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	107.45	106.31	119.58	130.27	166.43	(+) 28
7.	भू-राजस्व	9.38	8.58	9.43	10.02	10.95	(+) 9
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	24.74	31.15	37.02	38.48	44.03	(+) 14
	योग	**11,617.82**	**11,655.28**	**13,219.50**	**16,790.37**	**20,399.46**	**(+) 21**

संबंधित विभागों द्वारा भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए गये थे:

- **बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट):** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (21 *प्रतिशत*) मुख्यत: सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के कारण थी। तथापि, ब्रह्द भिन्नताएं अर्थव्यवस्था में उत्पलावक्ता के कारण थी।
- **राज्य उत्पाद शुल्क:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (20 *प्रतिशत*) मुख्यत: देशी शराब (सी.एल.) तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) की लाईसैंस फीस में वृद्धि तथा आबकारी नीति के बेहतर प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन के कारण भी थी।
- **स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यत: अचल सम्पत्ति के लेन-देनों में वृद्धि के कारण थी।
- **वाहनों पर कर:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (62 *प्रतिशत*) अतिरिक्त संसाधनों के संघटन तथा कर वसूल करने के लिए अच्छे प्रयास करने के कारण थी।

- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (28 *प्रतिशत*) मुख्यत: विद्युत उपयोगिताओं द्वारा उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क की वृद्धित वसूली के कारण थी।

1.1.3 निम्न तालिका 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान उगाहे गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 से 2011-12 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	शहरी विकास	2,805.24	884.50	133.70	974.54	1,039.35	(+) 7
2.	ब्याज प्राप्तियां	757.20	776.28	667.88	689.34	864.96[2]	(+) 25
3.	सड़क परिवहन	622.56	645.04	699.57	761.72	852.96	(+) 12
4.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	215.74	195.97	247.49	82.59	75.53	(-) 9
5.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	105.54	120.95	96.81	115.63	99.95	(-) 14
6.	विविध सामान्य सेवाएं	91.25	89.39	95.93	(-) 9.75[3]	128.49	(+) 1,417
7.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	72.27	74.01	218.56	202.26	583.16	(+) 188
8.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	117.70	156.10	285.10	270.37	295.72	(+) 9
9.	पुलिस	41.44	55.22	35.11	61.53	62.64	(+) 2
10.	वानिकी एवं वन्य जीवन	33.79	40.74	56.13	44.32	39.12	(-) 12
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	64.91	30.94	30.23	47.06	54.79	(+) 16
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	169.44	169.31	174.89	181.33	624.98	(+) 245
	योग	**5,097.08**	**3,238.45**	**2,741.40**	**3,420.94**	**4,721.65**	**(+) 38**

संबंधित विभागों द्वारा भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए गए थे:

- **ब्याज प्राप्तियां:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (25 *प्रतिशत*) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से वृद्धित प्राप्ति के कारण थी।

- **विविध सामान्य सेवाएं:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (1,417 *प्रतिशत*) केन्द्र सरकार से ऋण राहत की प्राप्ति के कारण थी।

---

[2] सिंचाई परियोजना पूंजीगत ब्याज पर ब्याज के दर्ज समायोजन के रूप में ₹ 413.94 करोड़ सम्मिलित हैं।

[3] प्राप्तियों से अधिक प्रत्यर्पणों के कारण।

- **बृहद् एवं मध्यम सिंचाई:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मध्यम सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत गलत बुकिंग के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने के बावजूद भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए (अगस्त 2012)।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविकों के मध्य विभिन्नताएं

कर एवं कर-भिन्न राजस्व के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2011-12 हेतु राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नता नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	विभिन्नता वृद्धि(+)/ कमी (-)	प्रतिशतता
•	कर राजस्व				
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	14,100.00	13,383.69	(-) 716.31	(-) 05
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2,400.00	2,831.89	(+) 431.89	(+) 18
3.	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	2,350.00	2,793.00	(+) 443	(+) 19
4.	वाहनों पर कर	515.00	740.15	(+) 225.15	(+) 44
5.	बिजली पर कर एवं शुल्क	155.00	166.43	(+) 11.43	(+) 07
6.	भू-राजस्व	16.09	10.95	(-) 5.14	(-) 32
7.	उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर एवं शुल्क	45.80	44.03	(-) 1.77	(-) 04
8.	माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर	425.00	429.32	(+) 4.32	(+) 01
•	कर-भिन्न राजस्व				
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	75.00	75.53	(+) 0.53	(+) 01
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	61.00	39.12	(-) 21.88	(-) 36
3.	पानी की दरें (मध्यम सिंचाई)	6.44	7.44	(+) 1.00	(+) 16
4.	ब्याज प्राप्तियां	816.49	864.96	(+) 48.47	(+) 6
5.	शहरी विकास	1,300.00	1,039.35	(-) 260.65	(-) 20
6.	पुलिस	71.42	62.64	(-) 8.78	(-) 12
7.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	102.99	54.79	(-) 48.20	(-) 47
8.	लोक निर्माण	14.10	7.84	(-) 6.26	(-) 44

विभागों द्वारा यथा प्रस्तुत बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताओं के कारण नीचे उल्लिखित हैं:

- **स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (19 *प्रतिशत*) अचल सम्पत्ति के अधिक लेन-देनों के कारण थी।

- **वाहनों पर कर:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (44 *प्रतिशत*) अतिरिक्त संसाधनों के संघटन तथा कर वसूल करने के लिए अच्छे प्रयास करने के कारण थी।
- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (सात *प्रतिशत*) विद्युत उपयोगिताओं द्वारा उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क की वृद्धित वसूली के कारण थी।
- **भू–राजस्व:** राजस्व प्राप्तियों में कमी (32 *प्रतिशत*) नामांतरण फीस, नकल फीस तथा राजस्व तलबाना[4] की कम वसूली के कारण थी।
- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** राजस्व प्राप्तियों में कमी (36 *प्रतिशत*) पेड़ न काटने के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने (अगस्त 2012) के बावजूद बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में विभिन्नता के कारण सूचित नहीं किए (सितंबर 2012)।

1.3 मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

2009-10 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2010-11 हेतु सकल संग्रहण हेतु संग्रहण के व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2010–11 हेतु अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2009-10	9,032.37	78.48	0.87	0.75
		2010-11	11,082.01	87.82	0.79	
		2011-12	13,383.69	87.65	0.65	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2009-10	2,059.02	20.48	0.99	3.05
		2010-11	2,365.81	21.57	0.91	
		2011-12	2,831.89	22.39	0.79	
3.	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	2009-10	1,293.56	13.72	1.06	1.60
		2010-11	2,319.28	11.39	0.49	
		2011-12	2,793.00	11.57	0.41	
4.	वाहनों पर कर	2009-10	277.07	11.32	4.08	3.71
		2010-11	457.36	13.38	2.93	
		2011-12	740.15	13.07	1.77	

स्रोत: वित्त लेखे।

4 सम्मन भिजवाने हेतु प्रभार।

1.4 कुल बकायों तथा 5 वर्षों से अधिक बकायों के संबंध में राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के सम्बन्ध में राजस्व के बकाया, जैसा विभागों द्वारा प्रतिवेदित किया गया, ₹ 3,982.60 करोड़ के थे, जिनमें से ₹ 2,864.27 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2012 को बकाया राशि	31 मार्च 2012 को पांच वर्षों से अधिक हेतु बकाया राशि	अभ्युक्तियां
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	3,405.08	2,583.52	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 600.03 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, ₹ 8.89 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण स्थागित किए गए थे। ₹ 22.01 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 36.03 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹ 224.35 करोड़ परिशोधन, समीक्षा तथा अपील के कारण रोके गए थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुन: कल्पन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 133.00 करोड़ की वसूली बकाया थी। ₹ 18.20 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 2,362.57 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	119.19	76.53	₹ 12.59 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थागित की गई थी। ₹ 69.04 लाख बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। सरकारी परिसमापक/बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित प्रकरणों के कारण ₹ 1.98 करोड़ की वसूली बकाया थी। ₹ 3.94 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 15.66 करोड़ तथा ₹ 9.72 करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तरजिला बकायों के कारण थे। ₹ 74.61 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क	129.28	80.66	₹ 1 करोड़ मैसर्ज हरियाणा कनकास्ट, हिसार, ₹ 38 लाख मैसर्ज रामा फाईबरज, भिवानी, ₹ 30 लाख मैसर्ज दादरी सीमेंटस चरखी दादरी तथा ₹ 16 लाख मैसर्ज कम्पीटैंट एलोइज, बल्लभगढ़ से वसूलनीय थे। ₹ 127.44 करोड़ की बकाया राशि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2012 को बकाया राशि	31 मार्च 2012 को पांच वर्षों से अधिक हेतु बकाया राशि	अभ्युक्तियां
				निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी. एन.एल.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी. एन.एल.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थी।
4.	• यात्री एवं माल पर कर	60.18	15.29	₹ 0.27 लाख की राशि बट्टे खाते डाली गई थी तथा ₹ 60.18 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
	• स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	208.86	83.54	₹ 136.48 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय, न्यायिक तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। सरकारी परिसमापक/बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 4.47 लाख की वसूली बकाया थी। ₹ 1.65 लाख की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 72.32 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
5.	पुलिस	13.72	8.22	₹ 7.38 करोड़ की वसूली भारतीय तेल निगम से बकाया थी। ₹ 5.50 करोड़ की वसूली आठ[5] राज्यों से बकाया थी। ₹ 28 लाख की शेष राशि थर्मल प्लांट, फरीदाबाद से वसूलनीय थी। ₹ 5.75 लाख की राशि कुम्भ मेला हरिद्वार से वसूलनीय थी तथा ₹ 49.65 लाख का बकाया कानून व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा यू.पी. और गुजरात से वसूलनीय था।
6.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क			
	• गन्ना (विनियमन, आपूर्ति एवं क्रय नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां	13.33	0.61	पांच चीनी मिलों (भादसों: ₹ 5.07 करोड़, नारायणगढ़: ₹ 4.68 करोड़, पानीपत: ₹ 3.20 करोड़ तथा यमुना नगर: ₹ 0.38 करोड़) ने कर जमा नहीं करवाया।
	• मनोरंजन शुल्क तथा प्रदर्शन कर के अन्तर्गत प्राप्तियां	10.14	9.57	₹ 17.91 लाख की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 1.26 लाख बट्टे खाते डाले जाने सम्भावित थे। ₹ 9.95 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।

[5] छत्तीसगढ़ (₹ 1.41 करोड़), गुजरात (₹ 0.44 करोड़), हिमाचल प्रदेश (₹ 0.40 करोड़), झारखंड (₹ 0.08 करोड़), केरल (₹ 0.02 करोड़), मध्य प्रदेश (₹ 0.44 करोड़), राजस्थान (₹ 0.59 करोड़) तथा उत्तर प्रदेश(₹ 2.12 करोड़)।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2012 को बकाया राशि	31 मार्च 2012 को पांच वर्षों से अधिक हेतु बकाया राशि	अभ्युक्तियां
7.	अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	22.82	6.33	₹ 9.88 करोड़ की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत थी। ₹ 5.50 करोड़ की वसूली उच्च न्यायलय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ दो लाख बट्टे खाते डाले जाने सम्भावित थे। ₹ 2.27 करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तर जिला बकायों के रूप में देय थे। ₹ 5.15 करोड़ कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर था।
	योग	**3,982.60**	**2,864.27**	

अन्य विभागों के सम्बन्ध में 2011-12 के अन्त तक राजस्व के बकायों की स्थिति आग्रह किए जाने (अगस्त 2012) के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई थी (अक्तूबर 2012)।

1.5 संग्रहण का विश्लेषण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा यथा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के दौरान बिक्री कर/वैट प्रकरणों के पूर्व-निर्धारण चरण पर कुल संग्रहण तथा नियमित निर्धारणों के पश्चात् का विघटन तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे उल्लिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	पूर्व-निर्धारण चरण पर संगृहीत राशि	नियमित निर्धारण के पश्चात् संगृहीत राशि	करों एवं शुल्कों के भुगतान में विलंब हेतु जुर्माना	प्रत्यर्पित राशि	विभाग के अनुसार निवल संग्रहण	वित्त लेखे के अनुसार निवल संग्रहण	कॉलम 3 से 8 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2007-08	7,223.15	722.01	1.59	81.15	7,865.60	7,720.98	94
	2008-09	8,132.08	470.14	58.28	101.34	8,559.16	8,154.73	100
	2009-10	9,973.05	393.21	1.24	133.09	10,234.41	9,032.37	110
	2010-11	11,224.83	2,022.92	1.17	623.04	12,625.88	11,082.01	101
	2011-12	14,286.78	417.66	7.48	603.72	14,108.20	13,383.69	107

1.6 कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदित किया गया, नीचे उल्लिखित हैं:

राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2011 को लम्बित मामले	वर्ष 2011–12 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल (2+3)	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा वर्ष 2011–12 के दौरान पैनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2012 को लम्बित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	(₹ लाख में)	
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	97	2,135	2,232	2,177	442.75	55
राज्य उत्पाद शुल्क	823	2,717	3,540	2,719	86.91	821
यात्री एवं माल पर कर	903	9,297	10,200	9,047	709.87	1,153

अन्य विभागों ने आग्रह किए जाने (अगस्त 2012) के बावजूद विवरण प्रस्तुत नहीं किए (अक्तूबर 2012)।

1.7 प्रतिदाय

वर्ष 2011-12 के आरम्भ में लम्बित प्रतिदाय मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदायों तथा वर्ष के अन्त (मार्च 2012) में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा सूचित की गई, नीचे उल्लिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दावों के विवरण	बिक्री कर		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	610	371.77	13	0.06
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	3,169	478.78	861	10.86
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	3,395	743.31	862	10.77
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	384	107.24	12	0.15

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकारी विभागों का उत्तर

1.8.1 उत्तरदायित्व पर बल देने तथा राज्य सरकार के हित की रक्षा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों/सिफारिशों पर कार्रवाई के विभिन्न चरणों के बारे में संक्षिप्त प्रस्तावना नीचे उल्लिखित है:

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा (पी.ए.जी.) नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित के अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आरज) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार द्वारा, आई.आरज में सम्मिलित अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना की जानी तथा त्रुटियों एवं चूकों का सुधार किया जाना तथा आई.आरज जारी किए जाने की तिथि से छः सप्ताह के अन्दर पी.ए.जी. को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से अनुपालना सूचित की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं। इनमें से कुछ प्रत्येक वर्ष विधान सभा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) के माध्यम से सूचित की जाती हैं। विभागों को, उनके उत्तर लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) को प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जाता है जो अपनी बैठकों में उनकी जांच करती है तथा अपनी रिपोर्ट राज्य विधान सभा को देती है।

दिसम्बर 2011 तक जारी आई.आरज ने प्रकट किया कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नरूपी आंकड़ों के साथ नीचे उल्लिखितानुसार जून 2012 के अन्त में, 2,268 आई.आरज से सम्बन्धित ₹ 1,023.95 करोड़ से आवेष्टित 4,507 अनुच्छेद बकाया रहे।

	जून 2010	जून 2011	जून 2012
बकाया आई.आरज की संख्या	2,460	2,313	2,268
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	5,122	4,734	4,507
आवेष्टित राशि (₹ करोड़ में)	1,507.03	1,484.56	1,023.95

30 जून 2012 को बकाया आई.आरज तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण नीचे उल्लिखित है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया आई.आरज की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	274	1,271	740.44
		राज्य उत्पाद शुल्क	93	152	50.36
		माल एवं यात्रियों पर कर	134	256	20.15
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	16	18	10.90
2.	राजस्व	स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	729	1,513	53.34
		भू-राजस्व	120	182	0.51
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	281	379	8.64
4.	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	5	5	0.33
5.	कृषि (गन्ना)	गन्ने पर क्रय कर	31	33	24.68
6.	गृह (पुलिस)	अन्य सरकारों/रेलवे इत्यादि को नियोजित पुलिस की लागत की प्राप्तियां	51	56	18.25
7.	खदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	100	133	14.59
8.	अन्य विभाग	विविध प्राप्तियां	434	509	81.76
		योग	**2,268**	**4,507**	**1,023.95**

आई.आरज के निर्गम की तारीख से छः सप्ताह के अंदर कार्यालयों के अध्यक्षों से प्राप्त किए जाने अपेक्षित प्रथम उत्तर भी दिसम्बर 2011 तक जारी 114 आई.आरज के संबंध में प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण आई.आरज की यह लम्बनता इस तथ्य का सूचक है कि कार्यालयों के अध्यक्ष तथा विभागों के अध्यक्ष आई.आरज में पी.ए.जी. द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में विफल रहे।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर हेतु प्रभावी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकती है। सरकार, उन अधिकारियों/कर्मचारियों, जो निर्धारित समय सूचियों के अनुसार आई.आरज/अनुच्छेदों के उत्तर भेजने में विफल रहते हैं तथा उनके भी, जो समयबद्ध ढंग से हानि/बकाया मांग वसूल करने की कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, के विरूद्ध कार्रवाई कर सकती है।

1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने अनुच्छेदों सहित आई.आरज में अनुच्छेदों के निपटान की प्रगति को मानीटर एवं तीव्र करने के लिए सितम्बर 1985 में लेखापरीक्षा समितियां गठित की। लेखापरीक्षा समितियां प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के लिए बनाई जानी चाहिए जिसमें प्रशासनिक सचिव (चेयरमैन), उप-महालेखाकार (संयोजक) तथा विभाग के अध्यक्ष (सदस्य) शामिल किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निपटान की प्रगति की समीक्षा करने तथा इस बारे में कार्य की गति को मानीटर करने के लिए इन समितियों की बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने भी तिमाही आधार पर विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने तथा ऐसी बैठकों के परिणाम वित्त विभाग को सूचित करने के लिए प्रशासनिक सचिवों पर दबाव डाला है (अगस्त 1998)।

हमने देखा कि प्रशासनिक सचिव ने वर्ष 2011-12 के दौरान विभागीय लेखापरीक्षा समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन सुनिश्चित नहीं किया। वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए अनुच्छेदों के विवरण नीचे उल्लिखित हैं:

राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या (कुल अनुच्छेदों में से)	राशि (₹ करोड़ में) (कुल राशि में से)
स्टाम्प शुल्क	2	60 (240)	0.64 (1.85)
बिक्रियों व्यापार आदि पर कर/वैट	4	130 (279)	37.81 (135.77)
योग	**6**	**190 (519)**	**38.45 (137.62)**

2011-12 के दौरान, कर तथा कर-भिन्न राजस्व के नौ मुख्य शीर्षों से संव्यवहार करने वाले नौ विभागों में से, मात्र दो ने लेखापरीक्षा समिति की छः बैठकें आयोजित की थी। इस प्रकार, ये विभागीय लेखापरीक्षा समितियां प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहीं हैं क्योंकि अधिकतर सरकारी विभागों द्वारा इन बैठकों के माध्यम से लम्बित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों/आपत्तियों का समापन/निपटान आरम्भ नहीं किया गया था।

सरकार को, प्रभावी प्रगति के लिये समितियों की आवधिक बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना चाहिये।

1.8.3 लेखापरीक्षा को जांच हेतु अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) के कार्यालयों में वैट प्राप्तियों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार कर लिया जाता है तथा लेखापरीक्षा के आरंभ से सामान्यत: एक माह पहले विभाग को लेखापरीक्षा जांच हेतु संबंधित अभिलेख तैयार रखने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु सूचनाएं जारी की जाती हैं।

2011-12 के दौरान, तीन डी.ई.टी.सीज से संबंधित 422 वैट निर्धारण मामले लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इस प्रकार, ₹ 182.74 करोड़ के राजस्व से आवेष्टित वैट निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी। इन मामलों का विघटन नीचे दिया गया है:

डी.ई.टी.सी. का नाम	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	लेखापरीक्षा न किए गए निर्धारण मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें आवेष्टित राजस्व का पता नहीं लगाया जा सका	आवेष्टित राजस्व (₹ करोड़ में)
फरीदाबाद (पूर्व)	2011-12	338	338	110.29
फरीदाबाद (पश्चिम)	2011-12	74	74	70.78
पानीपत	2011-12	10	10	1.67
	योग	**422**	**422**	**182.74**

1.8.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

वित्त विभाग ने 5 जनवरी 1982 को सभी विभागों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अपने उत्तर छ: सप्ताह के अन्दर भेजने हेतु निर्देश जारी किए थे। पी.ए.जी. द्वारा प्रारूप अनुच्छेदों को, अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छ: सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने हेतु उनको अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में निरपवाद रूप से इंगित किया जाता है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व सैक्टर) में सम्मिलित 18 प्रारूप अनुच्छेद एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं, सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अप्रैल से सितंबर 2012 के दौरान अर्ध-शासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किए गए थे। तथापि, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

1.8.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन – संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों को, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि पी.ए.सी. द्वारा जांच हेतु मामले उठाए गए थे अथवा नहीं, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व सैक्टर) में प्रस्तुत सभी अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वत: सकारात्मक तथा ठोस कार्रवाई आरम्भ करनी अपेक्षित थी। उन्हें, विधानसभा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित अथवा की गई उपचारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांच की गई विस्तृत टिप्पणियों को भी प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

अनुच्छेदों, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट किए गए हैं तथा जिन पर 30 सितंबर 2012 को चर्चा लम्बित थी, की स्थिति **अनुलग्नक I** में उल्लिखित है। 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि से सम्बन्धित एक सौ उन्नीस अनुच्छेद पी.ए.सी. द्वारा चर्चा हेतु लम्बित थे। प्रशासनिक विभाग, विधान सभा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण[6] की तारीख से तीन माह के भीतर 119 अनुच्छेदों में से 40 के सम्बन्ध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करने में विफल रहे।

आगे, पी.ए.सी. की अनुशंसाओं के प्रति प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि 1977-78 से 2005-06 तक की अवधि से सम्बन्धित 658 अनुशंसाएं सम्बन्धित विभागों द्वारा अन्तिम कार्रवाई न किए जाने के कारण अब तक लम्बित थीं **(अनुलग्नक II)**।

1.8.6 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

2006-07 से 2010-11 के बीच के वर्षों के दौरान विभागों/सरकार ने ₹ 753.85 करोड़ के राजस्व से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 325.31 करोड़ की राशि 31 मार्च 2012 तक वसूल की गई थी जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धन मूल्य	स्वीकृत धन मूल्य	की गई वसूली
2006-07	407.54	392.67	315.23
2007-08	122.75	29.65	1.93
2008-09	82.74	75.64	0.68
2009-10	346.97	72.76	3.42
2010-11	324.73	183.13	4.05
योग	**1,284.73**	**753.85**	**325.31**

स्वीकृत प्रकरणों के सम्बन्ध में वसूली मात्र 43 *प्रतिशत* थी, जिसने वसूलियां करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की कमी इंगित की।

[6] 2006-07: मार्च 2008, 2007-08: फरवरी 2009; 2008-09: मार्च 2010, 2009-10: मार्च 2011 तथा 2010-11: 09 मार्च 2012.

सरकार, सम्बन्धित विभागों को तत्काल वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए परामर्श दे सकती है।

1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा आई.आरज/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेद 1.9.1 से 1.9.2.2 में गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों के साथ निपटने में आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) के निष्पादन पर तथा 2002-03 से 2011-12 तक के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा की गई है।

1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षणों के दौरान पता लगाई गई अनियमितताओं को सम्मिलित करके आई.आरज तत्पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों/अगले उच्चतर प्राधिकारियों को जारी की जाती हैं। कार्यालयों के अध्यक्षों/विभाग/सरकार से आई.आरज में समाविष्ट अभ्युक्तियों की अनुपालना तथा त्रुटियों एवं चूकों को तत्परता से सुधारने की अपेक्षा की जाती है। उनके द्वारा आई.आरज के निर्गम की तारीख से छः सप्ताह के भीतर पी.ए.जी. को प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से अनुपालना सूचित की जानी भी अपेक्षित थी। गंभीर वित्तीय अनियतिताएं भी, जांच एवं तत्पर कार्रवाई करने और उन पर टिप्पणियां, यदि कोई हो, अग्रिम पैरा के निर्गम की तारीख से छः सप्ताह के भीतर देने हेतु अर्ध-सरकारी पत्र के माध्यम से विभागाध्यक्ष (आबकारी एवं कराधान आयुक्त) तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं। छः सप्ताह के भीतर उत्तर प्राप्त न होने के मामले में आई.आरज की निर्गम की तारीख से 50 दिनों के पश्चात् तथा उसके बाद प्रत्येक माह अनुस्मारक जारी किए जाते हैं। प्रशासनिक विभाग तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त को बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अर्ध-वार्षिक स्थिति भी अर्ध-सरकारी पत्र के माध्यम से जारी की जाती है।

गत 10 वर्षों के दौरान जारी की गई आई.आरज, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा मार्च 2012 को उनकी स्थिति नीचे तालिकाबद्ध है।

(₹ करोड में)

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	आई. आरज	अनुच्छेद	धन मूल्य	आई. आरज	अनुच्छेद	धन मूल्य	आई. आरज	अनुच्छेद	धन मूल्य	आई. आरज	अनुच्छेद	धन मूल्य
2002-03 तक	281	1795	169.50	32	340	116.70	4	339	23.09	309	1796	263.11
2003-04	309	1796	263.11	27	342	276.37	4	345	56.43	332	1793	483.05
2004-05	332	1793	483.05	30	401	97.29	19	442	42.66	343	1752	537.68
2005-06	343	1752	537.68	31	395	205.12	27	345	30.34	347	1802	712.46
2006-07	347	1802	712.46	26	379	66.23	5	312	41.63	368	1869	737.06
2007-08	368	1869	737.06	28	354	64.67	51	608	117.52	345	1615	684.21
2008-09	345	1615	684.21	40	439	134.72	42	531	129.22	343	1523	689.71
2009-10	343	1523	689.71	27	344	84.89	141	659	304.01	229	1208	470.59
2010-11	229	1208	470.59	29	342	203.81	3	264	103.56	255	1286	570.84
2011-12	255	1286	570.84	29	335	261.37	10	350	91.78	274	1271	740.43

आई.आरज, अनुच्छेदों तथा आवेष्टित राशि के अंत शेष के वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक – III** में दिए गए हैं। 274 आई.आरज में ₹ 740.43 करोड़ के राजस्व से आवेष्टित 1,271 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 153 आई.आरज में ₹ 257.80 करोड़ (35 *प्रतिशत*) के राजस्व से आवेष्टित 397 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पांच वर्ष से अधिक पुरानी थी।

हमने देखा कि आवधिक अनुस्मारक जारी करने तथा लेखापरीक्षा समिति की आवधिक बैठकों के आयोजन के बावजूद आई.आरज/लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की भारी लम्बनता थी जो आई.आरज में पी.ए.जी. द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में कार्यालयाध्यक्षों/आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा प्रशासनिक विभाग की ओर से विफलता की सूचक है।

यह सुनिश्चित करने हेतु कि देय राजस्व वसूल करने हेतु कार्रवाई कालबाधित न हो, सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए कि:

- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु प्रभावी प्रक्रिया विद्यमान है;
- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उपयुक्त कार्रवाई आरंभ करने के बाद लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का शीघ्रातिशीघ्र निपटान करवाने हेतु प्रभावी कदम उठाने में विफल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है; तथा
- हानि/बकाया मांगों को वसूल करने हेतु समयबद्ध ढंग से कार्रवाई की जाती है।

1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चिह्नित किए गए मामलों पर विभाग/सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन

1.9.2.1 स्वीकृत मामलों की वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये तथा वसूली गई राशि की स्थिति नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत मामलों की वसूली की संचित स्थिति
2001-02	9	3.28	8	2.23	0.23	1.94
2002-03	15	19.38	14	18.58	0.57	18.01
2003-04	10	10.23	10	8.32	-	8.32
2004-05	7	1.92	7	1.64	-	0.96
2005-06	8	5.74	7	1.14	-	1.12
2006-07	7	6.54	7	6.54	0.17	4.52
2007-08	8	2.17	7	1.00	0.32	0.32
2008-09	11	5.48	11	5.11	0.05	0.07
2009-10	11	119.01	11	30.95	-	-
2010-11	10	147.03	5	12.59	-	-
योग	**96**	**320.78**	**87**	**88.10**	**1.34**	**35.26**

गत दस वर्षों के स्वीकृत प्रकरणों के सम्बन्ध में वसूली केवल 40 *प्रतिशत* थी।

सरकार तत्काल वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए सम्बन्धित विभागों को परामर्श दे सकती है।

1.9.2.2 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

पी.ए.जी. द्वारा की गई प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाएं संबंधित विभागों/सरकार को उनकी सूचना हेतु उनके उत्तर प्रस्तुत करने के निवेदन के साथ अग्रेषित की जाती हैं। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एग्जिट कांफ्रेस में भी चर्चा की जाती है तथा विभाग/सरकार के विचार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय शामिल किए जाते हैं।

बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट से संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग पर सिफारिशों सहित निष्पादन लेखापरीक्षाओं में बताए गए मुद्दे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गए। विभागाध्यक्ष/सरकार ने बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु 2002-03 से 2010-11 तक के वर्षों के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के आठ प्रतिवेदनों में शामिल 33 सिफारिशों (**अनुलग्नक-IV**) पर अपनी स्वीकृति अथवा की गई कोई कार्रवाई सूचित नहीं की थी।

हमने देखा कि आबकारी एवं कराधान विभाग/सरकार ने 2001-02 से 2010-11 तक के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं से संबंधित अपने उत्तर पी.ए.सी. को भेजे थे। किन्तु उन्होंने 2002-03 से 2010-11 के वर्षों के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के निष्कर्षो तथा सिफारिशों के स्वीकरण पर अथवा अन्यथा कोई उत्तर नहीं दिया था। उन्होंने 2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के लिए पी.ए.सी. को उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे।

सरकार, सिफारिशों की अनुपालना सुनिश्चित करने अथवा उनकी टिप्पणियां, यदि कोई हो, देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग को परामर्श दे सकती है।

1.10 लेखापरीक्षा आयोजना

विभिन्न विभागों के अधीन यूनिट कार्यालयों को उनके राजस्व अर्जन, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की विगत प्रवृत्तियों इत्यादि के अनुसार उच्च, मध्यम तथा कम जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी राजस्वों तथा कर प्रशासन अर्थात् बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य तथा केन्द्रीय) के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिशें, गत पांच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशेषताएं, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति तथा इसका प्रभाव इत्यादि, में आलोचनात्मक मुद्दे शामिल होते हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान, 497 लेखापरीक्षा योग्य यूनिटों में से कुल यूनिटों के 56 प्रतिशत की लेखापरीक्षा संघटित करते हुए 280 यूनिटों की योजना बनाई गई तथा लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा योग्य यूनिटों तथा चयनित यूनिटों के विवरण **अनुलग्नक – V** में दर्शाए गए हैं।

ऊपर उल्लिखितानुसार पूर्ण की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं नामत: 'यात्री एवं माल कर से प्राप्तिया' तथा 'निर्माण संविदा पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण' भी इन प्राप्तियों के कर प्रबंधन की क्षमता की जांच करने के लिए ली गई थी।

1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.11.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/वैट, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद-शुल्क, मोटर वाहन तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 280 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2011-12 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 9,130 मामलों में ₹ 2,866.67 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 6,619 मामलों में आवेष्टित ₹ 1,765.33 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 6,410 मामलों में आवेष्टित ₹ 1,747.30 करोड़ 2011-12 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे। विभागों ने 2011-12 के दौरान 190 मामलों में ₹ 2.67 करोड़ संगृहीत किए थे।

1.11.2 इस प्रतिवेदन के बारे में

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,746.01 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित कर, शुल्क तथा ब्याज, शास्ति इत्यादि के कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण से संबंधित **'निर्माण संविदा पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण' तथा 'यात्री एवं माल कर से प्राप्तियों' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं** तथा 18 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 1,745.93 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 0.62 करोड़ वसूल किए गए हैं। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्तूबर 2012)। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 तक में चर्चा की गई है।